

## भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:

जनपद देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ—पंजिया—बनसार तुरउ तक विस्तार किमी 0 2 से 11 तक मो 0 मार्ग निर्माण हेतु—1.8536 है 0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/10464/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु चकराता वन प्रभाग में 1.8536 है 0 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है 0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 18/09/2015

स्थान : देहरादून

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- ४८१ / १जी- FP/UK/ROAD/10464 /2015 देहरादून: दिनांक: १८ सितम्बर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार तुरउ तक विस्तार किमी ० २ से ११ तक मो० मार्ग निर्माण हेतु-१.८५३६ है० वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/10464/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव में प्रति है० ५० से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेज्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या / १जी-FP/UK/ROAD/10464 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, चक्राता वन प्रभाग, चक्राता।
- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया, देहरादून।

(एस०टी०एस० लेज्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी